

महोदयजी,
निवेदन है कि आवेदक के राजस्व वेकाई के
द्वि. मुला पि. थाना रेवारी कांटे के बजाय मंगला पि.
थाना रेवारी सांटे लुड किया जाना उचित है।

11/06/18
21/06/18

भंवर सिंह
पटवार मण्डल...
तह. हुरड़ा, जिला - भीलवाड़ा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट अरणी हल्का डेक्कामिका व जोच 12R डेक्कामिका डे इनुमा
मुला पिता थाना के बजाय मंगला पिता थाना लुड किया जाने की
अनुमति की जाती है।

तहसीलदार (भू. अ.)
हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक 06.06.2018

आदेश

रिपोर्ट पटवारी हल्का ऊखलिया भू-अभिलेख निरीक्षक टोंकरवाड एवं
तहसीलदार हुरड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम ऊखलिया की जमाबन्दी संवत् 2074 से
2077 के खाता संख्या 190, 436, 264 की खातेदार मूला पिता थाना के बजाय
मंगला पिता थाना दर्ज कराना चाहा किन्तु प्रार्थी के द्वारा मूला पिता थाना के स्थान
मंगला पिता थाना करावाया जाने बाबत समुचित आधार नही होने से में न्यायालय प्रार्थी
नाम दुरस्त किया जाना उचित नही समझता है तदनुसार यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य
होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।
आदेश आज दिनांक 06.06.2018 को खुली लोक अदालत कम्प कोर्ट ऊखलिया पर
सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(नन्दकिशोर राजोरा)

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा



Web Copy - Not Original

उप खण्ड अधिकारी